प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 03.10.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा महिला प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के साथ की गयी गोष्ठी *मिशन शक्ति अभियान 5.0 के सफल क्रियान्वन हेतु दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश*

आज दिनाँक 03.10.2025 को पुलिस कार्यालय संतकबीरनगर में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा महिला प्रकोष्ठ के कर्मचारीगण के साथ गोष्ठी किया गया। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं / बालिकाओं को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जागरुक किया जाने तथा महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के सफल क्रियान्वन हेतु दिशा निर्देश दिया गया।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रूप से द्वारा शुक्रवार की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना बखिरा अन्तर्गत लेडुआ महुआ में किया गया भ्रमण

भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनाँक 03.10.2025 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री आलोक कुमार*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा संयुक्त रुप से शुक्रवार की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत लेडुआ महुआ में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील किया गया कि शासन/प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रूप से विसर्जन में भाग लें। साथ ही महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अवांछनीय एवं अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखें किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** पीआरओ पुलिस अधीक्ष *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* सहित पुलिस के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा लूट की सूचना मिलने के 24 घंटे के अन्दर घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

एक अदद अवैध कट्टा.12 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस .12 बोर, एक अदद मंगलसूत्र, एक अदद मोबाईल व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 03.10.2025 को लूट की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों नाम पता 1. प्रभुनाथ राय पुत्र अयोध्या साकिन दुघरा कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2. आलोक राजभर पुत्र अशोक साकिन दुघरा कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को एक अदद अवैध कट्टा.12 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस .12 बोर, एक अदद मंगलसूत्र, एक अदद मोबाईल व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पहली घटनाः- दिनाँक 02.10.2025 को वादिनी श्रीमती लक्ष्मीना पत्नी रामजी निवासी खैराटी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया कि जब वादिनी दिनाँक 30.09.2025 को अपनी देवरानी संगीता के साथ शिव चर्चा में भाग लेकर अपने घर वापस आ रही थी, तभी खैराटी गांव के पहले सड़क पर लाल व काले रंग की पल्सर से दो अज्ञात लड़को द्वारा वादिनी को डरा धमका कर गले का मंगलसूत्र छीन लिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 385/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में 3(5), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी।

__गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः__-

1. दीपक राय पुत्र प्रभुनाथ राय साकिन दुघरा कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
2. आलोक राजभर पुत्र अशोक साकिन दुघरा कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

*__बरामदगी का विवरणः-*__

(1.) एक अदद अवैध कट्टा.12 बोर,
(2.) दो अदद जिंदा कारतूस .12 बोर,
(3.) एक अदद मंगलसूत्र,
(4.) एक अदद मोबाईल
(5.) घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल पल्सर।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये दोनो अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि हमने इसी पल्सर मोटर साईकिल से खैराटी गांव से पहले सड़क पर पैदल जा रही एक महिला का मंगल सूत्र लूट लिया था। जो आज मंगलसूत्र बरामद हुआ है, वह उसी महिला का है तथा पकड़ी गयी मोटर साईकिल पल्सर से हम दोनो ने दिनांक 30.09.2025 की लूट की घटना किया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 सत्यम, का0 जितेन्द्र यादव, का0 संदीप यादव, का0 प्रवीण।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ☐ ***अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 161 स्थानों पर 2344 व्यक्तियों को किया गया चेक***
- ☐ ***104 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया***
- ☐ ***धारा 296 बीएनएस के तहत 07 अभियोग पंजीकृत कर 07 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना***
- ☐ ***19 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही***
- ☐ ***1366 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 23 स्थानों पर 460 व्यक्तियों को चेक हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 05 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 180 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 08 स्थानों पर 129 व्यक्तियों को चेक हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 145 व्यक्तियों को चेक किया गया व 100 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 27 स्थानों पर 385 व्यक्तियों को चेक हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 196 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 22 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर 185 व्यक्तियों को चेक हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 02 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 173 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 20 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 285 व्यक्तियों को चेक किया गया व 08 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 150 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 22 स्थानों पर 320 व्यक्तियों को चेक हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 04 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 155 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 20 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 280 व्यक्तियों को चेक किया गया व 150 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 06 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 155 व्यक्तियों को चेक करते हुए 122 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।